प्रकीर्ण वाद संख्या १९३/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ८४/२०१८)
पवन देवी आदि बनाम गनेश कुमारआदि

२५.११.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती पवन देवी, सागर, मंथन एवं शेष नारायन द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका सुलहनामा के आधार पर निर्णीत हो चुकी है, जिसमें पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹ ८,००,००० न्यायाधिकरण के खाते में जमा कर दिया है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उन्हें दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने समर्थन में ४सी२ शपथपत्र श्रीमती पवन देवी, अपने आधार कार्ड व पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को ३बी पर सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ८४/२०१८ श्रीमती पवन देवी आदि बनाम गनेश कुमार आदि की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया श्रीमती पवन देवी ने अपने शपथपत्र ४सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध कोई अपील लंबित नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २३.०६.२०२० को सुलहनामा के आधार पर ₹ ८,००,००० का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती पवन देवी को ₹ २,००,००० प्राप्त होने हैं, जिसमें से ७५ प्रतिशत भाग ₹ १,५०,००० याची सं. १ के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना मे पाँच वर्ष के लिये जमा किये जाने है जिसका वह मासिक/वार्षिक ब्याज प्राप्त करती रहेंगी तथा २५ प्रतिशत भाग ₹ ५०,००० वह नकद प्राप्त करेगी। याची सं. २ सागर व याची सं. ३ मंथन जो कि मृतक के नाबालिग पुत्र व पुत्री हैं, को उक्त प्रतिकर की राशि में से ३०-३० प्रतिशत भाग ₹ २,४०,००० - २,४०,००० प्राप्त होने हैं, जो धनराशि उनके नाम उनके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी एवं याची सं. ४ शेष नारायण जो कि मृतक का पिता है, उक्त प्रतिकर धनराशि का १५ प्रतिशत भाग ₹ १,२०,००० प्राप्त करेगा, जिसमें से ७५ प्रतिशत भाग ₹ ९०,००० उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में तीन वर्ष के लिये जमा किये जाने है, जिसका वह मासिक/वार्षिक ब्याज प्राप्त करेगा तथा २५ प्रतिशत भाग ₹ ३०,००० वह नकद प्राप्त करेगा। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक पंजिका के क्रमांक १३३ पर सिंडीकेट बैंक गोबिन्द चौराहा झाँसी में ₹ **८,००,०००** जमा होने की प्रविष्टि है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल कीं हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार जमाशुदा धनराशि अपने-अपने बैंक खाते मे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ८४/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. १९३/२०२० श्रीमती पवन देवी आदि बनाम गनेश कुमार आदि) के प्रकरण में प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Pavan Devi	150000	18.75	FD for 5 Years carrying highest intrest. Monthly	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.25 16:58:48 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

			interest of which shall be released in her bank account			
1.Smt. Pavan Devi	50000	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010442	Syndicate Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
2. Sagar (Minor)	240000	30.00	FD up to his majority carrying highest intrest	___	Any Nationalized Bank	____
3. Manthan (Minor)	240000	30.00	FD up to his majority carrying highest intrest	___	Any Nationalized Bank	____
4. Shesh Narayan	90000	11.25	FD for 3 Years carrying highest intrest Monthly interest of which shall be released in his bank account	___	Any Nationalized Bank	____
4.Shesh narayan	30000	3.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010438	Syndicate Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
Total	**800000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।